प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 अगस्त, 2021***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गगन सिंह पुत्र श्री हनुमन्त सिंह निवासी जनपद-जालौन की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15820/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 30.06.2021, दिनांक 03.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गगन सिंह पुत्र श्री हनुमन्त सिंह, ग्राम मालपुरा, थाना-कुठौंद, जनपद-जालौन का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद के कारण दिनांक 25.12.1999 को 01 अभियुक्तों के साथ मिलकर देशी कट्टा से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-101/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, जालौन के आदेश दिनांक 21.03.2003 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.11.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.03.2021 तक 20 वर्ष 06 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 10 माह 07 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जालौन द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बंदी को समयपूर्व रिहा किये जाने पर भविष्य में कोई संगीन अपराध घटित कर सकता और उम्र को देखते हुए पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं तथा बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखना आवश्यक है। बन्दी को कारागार से मुक्त किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्टेट, जालौन स्थान उरई द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बंदी की उम्र 38 वर्ष है और उम्र को देखते हुए उसके द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर है। बन्दी को जेल में निरूद्ध रखना आवश्यक है, क्योंकि वह जेल से समय पूर्व रिहा होने पर पुनः कोई संगीन घटना घटित कर सकता है। बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। दोनों पक्षो में अभी विवाद समाप्त नहीं हुआ है। बन्दी को कारागार से मुक्त किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा जमीनी विवाद के कारण दिनांक 25.03.2021 को 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी कट्टा से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित करने, पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के परिप्रेक्ष्य में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: रिट पिटीशन (क्रि0) डायरी संख्या-42667/2019 गगन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19.09.2021 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गगन सिंह (बन्दी संख्या-14960) पुत्र श्री हनुमन्त सिंह निवासी जनपद-जालौन की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-151/2021/1316(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
2- सर्वेश सिंह बघेल, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, 29 लायर्स चैम्बर्स सुप्रीम कोर्ट कम्पाउण्ड, नई दिल्ली-110001।
3- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।